यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** के माह 02/2020 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार-II एवं श्री डी0 के0 मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10-02-2021 से 26-02-2021 तक श्री टी0 एस0 नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, श्री रामवीर सिंह एवं श्री राजेश डोभल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी0 पी0 सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 24/01/2020 से 07/02/2020 तक संपादित की गयी थी जिसमें 01/2019 से 01/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2020 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** का मुख्य कार्यकलाप जनपद देहरादून के अंतर्गत रायपुर, ऋषिकेश, डोईवाला एवं देहरादून के ग्रामीण अंचल मेन नहरों का निर्माण, अनुरक्षण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संचालन करना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य स्थापना (+) रू॰	आधिक्य गैर स्थापना (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰				
2017-18	--	--	817.30	817.30	1692.10	1696.90	0	4.80	0	0
2018-19	--	--	791.56	791.56	2806.33	2804.80	0	0	0	1.53
2019-20	--	--	721.38	719.85	8.20	3.08	0	0	1.53	5.12
2020-21 (01/2021 तक)	--	--	567.99	567.99	7.9	5.74	0	0	0	2.16

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/बचत(-)
2017-18		शून्य			
2018-19					
2019-20					
2020-21 (01/2021 तक)					

(iii) इकाई को बजट उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. अधिशासी अभियंता आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1: सूर्यधार झील (स्व॰ गजेन्द्र दत्त नैथानी उर्फ ताऊजी जलाशय) के निर्माण की लागत मे रु॰ 4.92 करोड़ की अनियमित वृद्धि एवं रु॰ 20.24 करोड़ की धनराशि के दायित्वों का सृजन होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के पैरा 375 (a) के अनुसार: "It is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made and orders for its commencement issued by competent authority.--------Similarly, no liability may be incurred in connection with any work until an assurance has been received from the authority competent to provide funds that such funds will be allotted before the liability matures."

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के पैरा -317 के अनुसार: " A revised expenditure sanction is necessary if the actual expenditure exceeds or is likely to exceed the amount of original sanction by more than 10% in cases where the original estimates are up to Rs.25 lakhs. In all other cases of works, any excess over the amount to which expenditure sanction has been givenre quires revised expenditure sanction of Government in the Finance Department."

बजट मैन्युअल, उत्तराखंड के अध्याय XIV के नियम-154 के अनुसार:"Expenditure incurred without sufficient sanction" एवं" Expenditure incurred without allotment of adequate funds." वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खंड में जाखन नदी पर बनाए जाने वाले एवं नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित सूर्यधार झील (स्व॰ गजेन्द्र दत्त नैथानी उर्फ ताऊजी जलाशय) के निर्माण कार्य हेतु रु 50.24 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (नवम्बर 2017)। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय भूगर्भ सर्वे (Geological Survey of India) द्वारा विस्तृत सर्वे और तकनीकी परीक्षणोपरांत उक्त स्थान पर बैराज का निर्माण कराया जाना उपयुक्त पाया गया। प्रोजेक्ट के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति करने के साथ साथ डूब क्षेत्र कम (1.81 हेक्टेअर) होने से पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव नहीं था। प्रोजेक्ट की स्वीकृत लागत में नाबार्ड द्वारा ऋण (loan) की राशि रु 4610.58 लाख तथा राज्य सरकार का अंशरु 413.42 लाख था। कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-II), सिंचाई विभाग, देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार योजना में बैराज की ऊंचाई 08 मीटर थी जिसको तत्कालीन प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, मुख्य अभियंता (स्तर-II) सिंचाई विभाग, देहरादून, अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमण्डल देहरादून द्वारा स्थल निरीक्षण (25/07/2017) के दौरान वैली की सिंचाई व पेयजल मांग के मद्देनजर बैराज की ऊंचाई 10 मीटर करने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण प्रोजेक्ट की लागत में रु 1388.20 लाख[1] की वृद्धि /लागत परिवर्तन हुआ। इकाई द्वारा निविदा

[1]रु 2091.74लाख- रु703.54 लाख

आमंत्रण कर न्यूनतम लागत के आधार पर मैसर्स अरूण कन्स्ट्रकशन से प्रोजेक्ट का अनुबंध[2]गठित किया गया था, ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य जनवरी 2019 से शुरू किया गया।

परियोजना हेतु रु 42.60 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति [रु 29.58 करोड़ + रु 13.02 करोड़ (विचलन एवं अतिरिक्त मदों पर व्यय)] प्रदान की गयी थी (नवम्बर 2020)। सूर्यधार जलाशय के समस्त कार्य (सिविल निर्माण एवं हाइड्रोमैकैनिकल) पूर्ण किए जा चुके है(दिसम्बर 2020) एवं ठेकेदार द्वारा कराये गए रु 55.16 करोड़ के कार्य (जी॰एस॰टी॰ सहित) के सापेक्ष रु 34.92 करोड़[3] का भुगतान(9वां चलित देयक तक) किया गया है। ठेकेदार द्वारा प्रेषित पत्र (अक्टूबर 2020) के अनुसार उसके द्वारा संपादित कार्यों की मापों को माप पुस्तिकाओं (MB) में दर्ज नहीं कराया गया है एवं उसे अप्रैल2020 से कोई भुगतान नहीं किया गया है जबकि इकाई द्वारा योजना की स्वीकृत धनराशि /लागत की सीमा के अंतर्गत भुगतान किया जा सकता था। इस प्रकार,न केवल स्वीकृत लागत से अधिक रु 4.92 करोड़ के कार्य कराये गए बल्कि रु 20.24 करोड़[4] की देयताएँ बनी हुई है जिसे इकाई के पास इस कार्य मद मे निर्गत राशि मे से अवशेष राशि रु 16.32 करोड़ का भुगतान कर कम किया जा सकता था। इकाई द्वारा योजना की पुनरीक्षित लागत रु 6412.74 लाख शासन को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2020), स्वीकृति अब तक प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)। मु॰अभि॰/स्तर-1 द्वारा सेवानिवृत्त प्रमुख अभि॰ सिंचाई विभाग,यू॰पी॰ को आवश्यकतानुसार तकनीकी परामर्श देने हेतु नियुक्त किया गया ।

तकनीकी सलाहकार से परामर्श के बाद बैराज की ऊंचाई 08 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने हेतु शासन कि अनुमति / सहमति लिए जाने व प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि(variation) रु 13.88 करोड़ होने तथा योजना हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि मिलने के बावजूद ठेकेदार का पूर्ण भुगतान न किए जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बैराज निर्माण कार्य एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है,जिस हेतु तत्कालीन मु॰अभि॰/स्तर-1 द्वारा सेवानिवृत्त प्रमुख अभि॰ सिंचाई विभाग,यू॰पी॰ को आवश्यकतानुसार तकनीकी परामर्श देने हेतु नियुक्त किया गया, क्योंकि परामर्श हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं की जानी थी, जिस हेतु शासन द्वारा कोई अनुमति वांछित नहीं थी। शासन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 50.24 करोड़ ही प्रदान की गयी थी, बैराज की ऊंचाई बढ़ाने में रु 275.07 लाख का अतिरिक्त व्यय होना था इसलिए तत्समय शासन की स्वीकृति नहीं हुयी। कार्य के दौरान कार्यस्थल पर समय-समय आवश्यकतानुसार कार्य की लागत में वृद्धि होने की दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन रु 6412.74 लाख शासन को प्रेषित किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यदि बैराज की ऊंचाई 02 मीटर बढ़ाए जाने से अतिरिक्त लागत वृद्धि हेतु शासन स्तर पर आवश्यक धनराशि का आवंटन किया जाना अपेक्षित था तो तकनीकी

---

[2]मैसर्स अरूण कन्स्ट्रकशन अनुबंध सं॰ 01/एस॰ ई॰ /2018-19

[3]रनिंग बिल संख्या : (i) रु 340.92 लाख , (ii) रु 96.60 लाख (iii) रु 350.90 लाख (iv) रु 109.75 लाख (v) रु 24.91 लाख (vi) 1151.84 लाख (vii) 218.84 लाख (viii) रु 960.19 लाख एवं (ix) रु 238.88 लाख

[4]ठेकेदार द्वारा संपादित कार्य रु 55.16 लाख – ठेकेदार को किया गया कुल भुगतान रु 34.92 लाख = रु 20.24 लाख

सलाहकार से परामर्श लेने हेतु शासन की अनुमति / सहमति ली जानी भी अपेक्षित थी। इकाई द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत से अधिक के कार्य कराये जाने से पहले आवश्यक वित्त प्रबंधन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत की शासन से स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित था। इकाई द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के पैरा -317 का उल्लंघन कर शासन द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दिये बिना ही परियोजना पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किया गया तथा पैरा 375 (a) के नियमो के विपरीत ठेकेदार की देयताए पूर्ण होने से पहले निधियाँ प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से आश्वासन मिले बिना ही दायित्वों का सृजन किया गया। शासन द्वारा 08 माह की अवधि के पश्चात भी पुनरीक्षित प्राक्कलनकी स्वीकृति नही दी गयी है एवं बजट मैन्युअल, उत्तराखंड के अध्याय XIV के नियम-154के अनुसार भी पर्याप्त संस्वीकृति / निधि आवंटन के योजना पर किया गया आधिक्य व्यय अनियमित व्यय है।

अतः सूर्यधार झील के लागत मे रु॰ 4.92 करोड़ की अनियमित वृद्धि एवं रु॰ 20.24 करोड़ के दायित्व सृजन होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (अ)</u>

प्रस्तर-2: **"रानीपोखरी, लिस्टराबाद एवं घमंडपुर नहरों को आर.सी.सी. एन.पी.-3 पाईप द्वारा भूमिगत करना एवं रानीपोखरी नहर सेवामार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की योजना"में प्राप्त धनराशि में रु.129.36 लाख (रु.75.59 लाख + रु.53.77 लाख) का व्यावर्तन (diversion) करना तथा योजना पूर्ण होने के लगभग 03 वर्ष बाद भी ठेकेदारों के रु. 106.00 लाख धनराशि के लंबित बिलों का भुगतान न होना ।**

नियमानुसार किसी एक प्रोजेक्ट हेतु आवंटित धनराशि से उसी प्रोजेक्ट के कार्यों पर अर्थात पूंजीगत मद मे आवंटित धनराशि का व्यय पूंजीगत कार्य / निर्माण कार्य पर किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार पूंजीगत मद में प्राप्त धनराशि से राजस्व व्यय किया जाना व्यावर्तन (diversion) की श्रेणी में आता है।

सिंचाई खंड देहरादून के कार्यक्षेत्र में डोईवाला विकास खंड के अंतर्गत "रानीपोखरी, लिस्टराबाद एवं घमंडपुर नहरों को आर॰सी॰सी॰ एन॰पी॰-3 पाईप द्वारा भूमिगत करना एवं रानीपोखरी नहर सेवामार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की योजना" हेतु नाबार्ड द्वारा Rural Infrastructure Development Fund-XX(RIDF-XX) के अंतर्गत रु 1795.28 लाख (RIDF-XX ऋण रु 1615.00 लाख ,व राजयांश रु 179.53 लाख) स्वीकृत किया गया था (फ़रवरी,2015)। प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 तक पूर्ण आवंटन प्राप्त हो चुका था।

अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित पाया गया:-

- प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 तक पूर्ण आवंटन प्राप्त हो चुका था। योजना वर्ष 2017-18 में पूर्ण हो चुकी है।
- योजना हेतु धनराशि का प्रावधान पूंजीगत लेखाशीर्ष: 4700- नाबार्ड (Capital Outlay on Major Irrigation) के अंतर्गत किया गया था। राजस्व लेखाशीर्ष: 2701- Annual Repairs (AR) मे धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया था।
- स्वीकृत लागत रु 1795.28 लाख के सापेक्ष रु 1731.78 लाख का व्यय योजना पर किया गया था, नाबार्ड की अन्य योजनाओं पर व्यावर्तन (diversion) रु 53.77 लाख, योजना पर आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूंजीगत लेखाशीर्ष: 4700- नाबार्ड से राजस्व लेखाशीर्ष: 2701- Annual Repairs (AR) में रु 75.59 लाख का व्यावर्तन कर राजस्व संबंधी व्यय किया गया।
- रु 9.73 लाख आवंटित धनराशि कोषागार स्तर से भुगतान प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कालातीत (time-barred) हो गयी थी जो अब तक अप्राप्त है (फ़रवरी2021)।
- उक्त योजना पर रु 106.00 लाख की देनदारियाँ (liabilities) शेष हैं (फ़रवरी2021) संलग्नक-'A')।
- मै॰ गुरुकृपा कंस्ट्रक्सन द्वारा देनदारियों के लंबित भुगतान रु 37.42 लाख (अनुबंध सं॰ 2/अ॰अ॰ /2016-17) के भुगतान हेतु माँ॰ उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किया था जिस पर माँ॰ उच्च न्यायालय द्वारा फर्म को दिनांक 25/03/2020 तक भुगतान किए जाने का निर्णय दिया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट में स्वीकृत/आवंटित धनराशि में से रु॰ 129.36 लाख (रु॰ 75.59 लाख + रु॰ 53.77 लाख) का व्यावर्तन (diversion) किया गया। परिणामस्वरूप योजना पूर्ण होने के लगभग 03 वर्ष बाद भी ठेकेदारों के रु॰ 106.00 लाख धनराशि के बिलों का भुगतान लंबित था ।

उपरोक्त तथ्यों की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि योजना के अंतर्गत किए गए राजस्व व्यय के संबंध में उच्चाधिकारियों को समायोजन संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। योजना के मूल प्रावधानों के अंतर्गत ही रु॰ 106.00 लाख के कार्य कराये गए हैं। प्रकरण मा॰ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मै॰ गुरुकृपा कंस्ट्रक्सन द्वारा देनदारियों के लंबित रु 37.42 लाख के भुगतान हेतु माँ॰ उच्च न्यायालय में Recall Petition दाखिल की जा चुकी है, अंतिम निर्णय के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट में प्राप्त धनराशि से कुल रु॰ 129.36 लाख की धनराशि का व्यावर्तन (diversion) किया गया था, जिसके कारण अनुबंधित कार्यों के पूर्ण होने पर भुगतान हेतु योजना में पर्याप्त अवशेष धनराशि न होने से रु॰ 106.00 लाख के दायित्वों का सृजन हुआ। यदि योजना के मूल प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्य कराये गए थे और व्यावर्तन नहीं किया जाता तो दायित्वों का सृजन से बचा जा सकता था। चूँकि इकाई द्वारा योजना पूर्ण होने के लगभग 03 वर्ष बाद भी ठेकेदारों के रु॰ 106.00 लाख धनराशि के लंबित बिलों का भुगतान नही किया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक -'A'

रानीपोखरी, लिस्टरबाद एवं घमंडपुर नहरों को आर॰सी॰सी॰ एन॰पी॰ -3 पाईप द्वारा भूमिगत करना एवं रानीपोखरी नहर सेवामार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की योजना पर देनदारियों से संबन्धित अनुबन्धो / कार्यदेश का विवरण:-

योजना की तकनीकी स्वीकृत लागत : रु 1795.00 लाख (मद का नाम : 4700-नाबार्ड)

क्रम सं॰	ठेकेदार का नाम	अनुबंध सं॰	अनुबंध की प्राक्कलित लागत	अनुबंध की लागत	बीजक की धनराशि (देनदारी)
1	श्री अशोक कुमार	08/4650	---------	100983.00	100983.00
2	श्री रमेश प्रसाद कुमेडी	69/AE-VI/16-17	195328.00	194210.00	199269.00
3	श्री संजीव कुमार	92/AE-VI/16-17	198767.23	197054.00	217792.00
4	श्री विजय भट्ट	112/AE-VI/16-17	165754.00	163331.00	179762.00
5	श्री सुंदर कुमार	168/AE-VI/16-17	382657.68	377384.80	352215.00
6	श्री सुंदर कुमार	142/AE-VI/16-17	157296.23	156137.50	215576.00
7	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	170/AE-VI/16-17	552012.67	546148.50	433030.00
8	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	140/AE-VI/16-17	197682.77	196112.80	268554.00
9	श्री जयपाल सिंह	147/AE-VI/16-17	479837.80	475834.00	499886.00
10	श्री सुंदर कुमार	161/AE-VI/16-17	382212.74	378914.80	82570.00
11	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	155/AE-VI/16-17	197027.00	188100.00	195216.00
12	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	164/AE-VI/16-17	576701.98	571391.80	423998.00
13	श्री बुद्धी सिंह	166/AE-VI/16-17	385586.38	382026.84	324701.00
14	श्री बुद्धी सिंह	160/AE-VI/16-17	190466.60	188100.00	202690.00
15	श्री विजय भट्ट	165/AE-VI/16-17	195908.20	192253.00	171709.00
16	श्री विजय सिंह राणा	107/AE-VI /15-16	497388.36	487420.00	84038.00
17	श्री संजीव कुमार	163/AE-VI/16-17	192195.00	189934.00	202637.00
18	श्री श्रवण सिंह प्रधान	141/AE-VI/16-17	182800.40	180428.00	173784.00
19	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	143/AE-VI/16-17	186500.00	180000.00	374138.00
20	मै॰ गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन	02 /EE-VI/16-17	---------	3678096.00	3678096.00
21	मै॰ के॰ के॰ इण्ट॰	01/SE-VI/16-17	---------	2219692.00	2219692.00
Total					**10600336.00**

भाग -2 (ब)

प्रस्तर 01 प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशी 10.39 लाख का समायोजन नही किया जाना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड के अग्रिम मद में मार्च 200**4** से जनवरी 2021 तक कुल धनराशी ` 10.39 लाख जो विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध दिये गये अग्रिमों की वसूली समायोजना/ खण्ड द्वारा नहीं किये जाने का प्रकरण हैं। आगे लेखा अभिलखो मे यह भी पाया गया कि यह दोनों कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं तथा खण्ड द्वारा इन अग्रिमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया इस प्रकार **17** वर्ष बीत जाने के उपरांत भी उपरोक्त राशी का समायोजन नही किया गया । आगे ये भी देखा गया कि प्रकरण को विभाग के उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया **।**

Month	**Particulars of items**	**Amount**
03/2004	Sh.D .N.Dewedi A.E.III iD Dehradun,(Excess payment Agreement allotment)	रु. 19587/=
01/2005	Sh.D .N.Dewedi A.E.III iD Dehradun,(By T.E.O)	रु 17147/=
01/2007	Sh.D .N.Dewedi A.E.III iD Dehradun,(Excess payment Agreement allotment)	रु 80475/=
01/2007	Sh.D .N.Dewedi A.E.III iD Dehradun,(Excess payment against deposit work)	रु 631701/=
04/2010	Sh.Puran singh Deoli A.E.III, I.D.Dehradun (Excess payment against Deposit work of Tourism Deprtment Robers Cave	रु280739/=
12/2010	Less income tax deducted from contractors bill vide no 24 and 26 dated 07/2010	रु 9768/=
Total		**रु 1039417/=**

उपरोक्त के क्रम में लेखापरीक्षा द्वारा समायोजन न किये जाने एवं उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में नही लाये जाने के कारण पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में स्वीकारा कि शासन के संज्ञान में नही लाया गया तथा पत्राचार किया जा रहा हैं जैसे ही कोई प्रत्युतर/सुचना प्राप्त होती हैं महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा । विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही हैं क्योंकि प्रकरण पुराने हैं जिसके सम्बन्ध में समायोजन की कार्यवाही लंबित हैं । अतः प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशी 10.39 लाख का समायोजन नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तरः-2 टीडीएस संग्रह को समय से आयकर विभाग में जमा न करने के कारण रु. 3.29 लाख की अतिरिक्त देयता उत्पन्न होना।

आयकर अधिनिमय 1961 के सेक्शन- 200 के अनुसार "Any person deducting any sum shall pay within the prescribed time, the sum so deducted to the credit of the Central Government or as the Board directs.

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा ठेकेदारो (Contractors) को वित्तीय वर्ष - 2007-08 से 2016-17 तक किए गए भुगतान के सापेक्ष रु0 1,22,48,470/- का टीडीएस संग्रह (Collection) किया गया। उक्त धनराशि को आयकर अधिनिमय 1961 के सेक्शन- 200 के अनुसार, केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाना था। किन्तु, केंद्र सरकार को रु0 1,22,48,470/ का भुगतान न होने के कारण, आकार विभाग द्वारा, कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून नोटिस (दिनांक: 08/09/2017) प्रेषित किया गया।

उक्त नोटिस के अनुसार, कार्यालय के TAN - MRT100256E के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक किए गए टीडीएस संग्रह रु0 1,22,48,470/- के भुगतान की मांग की गयी थी, जिसका समायोजन वर्तमान समय तक (01/2021) भी नहीं हो पाया है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200A के अधीन फ़ाइल किए जाने वाले प्रपत्र में देरी एवं रु0 1,22,48,470/- के कर को आयकर विभाग में जमा न करने के कारण कार्यालय पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234E के अंतर्गत late fee एवं ब्याज की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हो गयी है, जो की निम्नवत है-

क्र0 स0	विवरण	कुल देयता रु0 में	दिनांक
1.	Interest on deduction /collection	29548	20/07/2020
2.	Late filing fee u/s 234E	43600	09/06/2019
3.	Interest on late deduction/collection	102	07/02/2019
4.	Late filing levy	12800	25/06/2019
5.	Interest on short deduction/collection	996	24/06/2018
6.	Interest on short deduction/collection	18237	10/06/2018
7.	Interest on short payments	3417	16/02/2018
8.	Late filing fee u/s 234E	12800	16/01/2018

9.	Late filing levy	1800	20/09/2016
10.	Interest on short deduction/collection	20280	14/04/2018
11.	Late filing levy	3000	14/04/2018
12.	Interest on short deduction/collection	1220	31/03/2018
13	Interest on short payment	178017	26/09/2019
14.	Interest on late payment	1914	26/09/2019
15	Interest on short deduction/collection	1380	26/09/2019
Total		**329111**	

-

इस प्रकार, कार्यालय द्वारा टीडीएस संग्रह को समय से आयकर विभाग में जमा न करने के कारण रु. 3,29,111/- की अतिरिक्त देयता उत्पन्न हो गयी है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि "टीडीएस संग्रह को आयकर विभाग में जमा की कार्यवाही गतिमान है।"

इस प्रकार, विभाग स्वतः ही पुष्टि करता है कि इकाई द्वारा टीडीएस संग्रह को समय से आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया।

इस प्रकार, कार्यालय की उदासीनता के कारण रु. 3.29 लाख की अतिरिक्त देयता उत्पन्न होने संबन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
113/2019-20	शून्य	1,2,3,4,5,6	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
113/2019-20	भाग-II 'ब' प्रस्तर स0 1,2,3,4,5,6	कार्यवाही गतिमान है।	प्रस्तर अग्रिम कार्यवाही तक यथावत रहेंगे।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री डी0 के0 सिंह	अधिशासी अभियंता	02/2020 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए॰ एम॰ जी॰ -I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I